PWD2-CW/R/115/2022-III-2-Public Works Department

151273/2023

ई फाईल सं०-44765

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradun

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 2 सितम्बर,2023

विषय वित्तीय वर्ष **2023-24** राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र-गंगोलीहाट केअन्तर्गत चण्डाक-बौंस-आंवलाघाट-गंगोलीहाट मोटर मार्ग का सेतु सहित निर्माणकार्य। (पुनरीक्षित विस्तृत आगणन) की पुनरीक्षित सुवीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-572/III-2/05-08(प्रा.आ.)/2006 दिनांक 28 मार्च, 2006 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वित्तीय 2006-07 में विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ₹ 417.38 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय सुवीकृति प्रदान की गई है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन भूमि हस्तान्तरण की सुवीकृति विलम्ब से (वर्ष 2019 में) प्राप्त होने तथा इस मध्य श्रम एवं सामग्री की दरों में अत्यधिक वृद्धि होने के फलस्वरूप कार्य की पूर्व स्वीकृत लागत ₹ 417.38 लाख से सम्पूर्ण लम्बाई में कार्य पूर्ण न हो पाने के कारण मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन, जिसमें कार्य की लागत ₹ 1105.48 लाख है, का शासन सुतर पर परीक्षण किये जाने के उपरान्त मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 12.45 कि0मी0 + 36 मीटर सुपान सेतु (01 नं0) हेतु औचित्यपूर्ण पायी गई समेकित लागत ₹ 999.05 लाख {₹417.38लाख मूल स्वीकृत लागत + ₹ 581.67 लाख अवशेष कार्यों की अतिरिक्त लागत} की प्रशासकीय, वित्तीय तथा व्यय की पुनरीक्षित स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

i. उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या-572/III-2/05-08(प्रा.आ.)/2006 दिनांक 28 मार्च, 2004 द्वारा मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष सम्पादित कार्यों की लागत ₹417.38लाख, प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹999.05 लाख से घटाते हुए अतिरिक्त लागत ₹ 581.67 लाख में अवशेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि, आवंटन के पूर्व व्यय कर दी गई हो अथवा अवशेष हो तो उस धनराशि को स्वीकृत लागत से समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यों पर अवमुक्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश दिनांक 28.03.2004 केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

ii. प्र0वि0 द्वारा कार्य के आगणन में सम्मिलित की जा रहीGST देयता में प्राविधानित मदों की

धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु प्र0वि0/कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

iii. यदि प्रश्नगत कार्य अथवा कार्य के भाग हेतु किसी अन्य योजना से धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना हो तो उसी अनुपात में स्वीकृत की जा रही धनराशि अथवा धनराशि के भाग को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

iv. N.S.I मदों/कार्य हेतु शा0सं0- 50/xxvii(7)/2012 दि0 12/04/2012, 152/887/मार्गसि0 /रा0यो0आ0/2021 दिनांक 04.02.2021 एवं 103/XXVII(7)32/2007 टी0सी0-1 दि0 21 जुलाई, 2022 तथा 1389/687/मार्ग0सि0/रा0यो0आ0/2022 दिनांक 03.10.20222 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 के अनुसार कार्यवाही की जाये।

v. तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पूर्व आगणन के प्रतिवेदन, Site plan तथा विभिन्न डाईंग पर प्र0वि/उपयोगकर्ता विभाग के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त करते हुये प्राविधानों तथा भवनों/संरचनाओं केlayout पर सहमति प्राप्त कर ली जाये।

vi. कार्य प्रारम्भ से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

vii. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

viii. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाये।

ix. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

x. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

xi. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन कें प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या'2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से पालन सुनिश्चिति किया जाये।

xiii. आगणन गठित् करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

xiv. आगणन में प्रस्तावित कार्य की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व संरचनओं के समस्त डिजाइन, डाईंग एवं डी0पी0आर0 को किस मान्यता प्राप्त उच्च तकनीकी संस्थान से Vetting करा लिया जाये।

xv. विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत

बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

xvi. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

xvii. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा मेंdebitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

xviii. पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

3- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0 22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सडक निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-01 चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण कार्य (5054-04-800-03-01 से स्थानान्तरित) की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित पत्र सं0-I/150073/2023, दिनांक 28 अगस्त, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

Signed by Shyam Singh
Date: 02-09-2023 14:43:23

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड,देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमांउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लो.नि.वि., पिथौरागढ।
10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि., बेरीनाग।
11. गार्ड बुक।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड़ देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 994 /20 याता0'क'/2023 दिनांक– 13 .09.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून